

28/11/2016 (Eve)

Monday

[This question paper contains 4 printed pages.]

Sr. No. of Question Paper : 487

G

Your Roll No.....

Unique Paper Code : 241386

Name of the Paper : Company & Compensation Laws

Name of the Course : B.Com.

Semester : III

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. All questions are compulsory.
3. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) Under what circumstances the court may disregard the separate legal entity of a company ? (7)

(b) Define private company. Explain the process of conversion of public company into private company. (8)

OR

(a) What are illegal associations ? State its consequences. (7)

(b) Define doctrine of *ultra vires* with case laws ? State its consequences. (8)

P.T.O.

- (क) न्यायालय किन परिस्थितियों में कंपनी के पृथक विधिक अस्तित्व की अवहेलना कर सकता है ?
- (ख) निजी कंपनी की परिभाषा दीजिए। सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

अथवा

- (क) अवैध साहचर्य क्या होते हैं ? इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए।
- (ख) अधिकारातीत सिद्धांत की, केस विधियों के साथ, परिभाषा दीजिए। इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए।

2. (a) State the legal position of pre-incorporation contracts. Can a company ratify these contracts ? (7)
- (b) What is meant by the term "allotment of shares"? What are the special provisions relating to allotment of shares ? (8)

OR

- (a) "A company cannot buy back its own shares". Explain. Are there any exceptions to this rule ? (7)
- (b) Explain the provisions related to payment of dividend. (8)
- (क) निगमन-पूर्व संविदाओं की विधिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। क्या कंपनी इन संविदाओं की संपुष्टि कर सकती है ?
- (ख) 'शेयरों के आबंटन' से आप क्या समझते हैं ? शेयरों के आबंटन से संबंधित विशेष व्यवस्थाएँ क्या हैं ?

अथवा

- (क) 'कंपनी अपने शेयरों की वापस खरीद नहीं कर सकती।' व्याख्या कीजिए। क्या इस नियम के कोई अपवाद हैं ?
- (ख) लाभांश अदायगी से संबंधित व्यवस्थाओं की व्याख्या कीजिए।
3. (a) What is an Extraordinary General Meeting ? When and by whom can an Extraordinary General Meeting be called ? (7)

- (b) Explain the concept of independent directors. (8)

OR

- (a) Under what circumstances a court can wind up the affairs of a company "on just and equitable grounds" ? (7)

- (b) Write short notes on the following :

(i) One person company; and (8)

(ii) Producer Company

- (क) असाधारण आम बैठक क्या होती है ? असाधारण आम बैठक कब और किनके द्वारा बुलाई जा सकती है ?

- (ख) स्वतंत्र निदेशकों की संकल्पना की व्याख्या कीजिए ।

अथवा

- (क) किन परिस्थितियों में न्यायालय "न्यायिक और साम्यिक आधारों" पर कंपनी के कार्यों का समापन कर सकता है ?

- (ख) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) एक व्यक्ति कंपनी

(ii) उत्पादक कंपनी

4. (a) How is the Employee's Insurance Court constituted and what are the matters to be decided by such a court ? Discuss. (7)

- (b) Discuss the powers of Employee State Insurance Corporations. (8)

OR

- (a) Briefly explain the duties of Employee State Insurance Corporations under the Employee State Insurance Act, 1948 (7)

- (b) Define the term "factory" and "wages" as per the Employee State Insurance Act, 1948. (8)

- (क) कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है और ऐसे न्यायालय द्वारा किन मामलों पर निर्णय लिया जाता है ? विवेचन कीजिए ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगमों की शक्तियों की विवेचना कीजिए ।

अथवा

(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगमों की इयूटियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार 'फैक्ट्री' और 'मजदूरियाँ' शब्दों की परिभाषा दीजिए ।

5. (a) Discuss the various provisions relating to the payment of compensation under the Workmen Compensation Act, 1923. (7)

(b) Explain the role of "advisory board" and "inspectors" appointed under the Minimum Wages Act, 1948. (8)

OR

Write short notes on

(i) Permanent total disablement.

(ii) "Injury" under the Workmen Compensation Act, 1923.

(iii) Fixation and revision of wages. (15)

(क) कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की अदायगी से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की विवेचना कीजिए ।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियुक्त 'सलाहकार मंडल' और निरीक्षकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए ।

अथवा

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) स्थायी संपूर्ण अपंगता

(ii) कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अनुसार 'चोट'

(iii) मजदूरियों का स्थिरीकरण और पुनरीक्षण